# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email-jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086 / 2656357 Fax 021-2612086


कमांक / बैठक / 2022 / भाग(10) / 1662

दिनांक :: 27 अगस्त, 2022

## बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 17 अगस्त, 2022 को मध्यान्ह पश्चात् 5.00 बजे श्री कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

**प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 18 मई 2022 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि**

**प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 18 मई 2022 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 18 मई 2022 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।**

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 18 मई, 2022 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन करते हुए गत बैठक दिनांक 18 मई, 2022 के जारी कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 2 :: राजस्व ग्राम मण्डोर द्वितीय में सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान बनाये जाने के संबंध में।**

| **प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा** | **प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव** |
|---|---|
| पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एंव टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | राजस्व ग्राम मण्डोर द्वितीय में सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान बनाये जाने के संबंध मे। |

बी.पी.सी (एल.पी) की बैठक दिनांक 15.02.2022 के एजेण्डा संख्या 03 में राजस्व ग्राम मण्डोर–द्वितीय के खसरा संख्या 72/5/1 रकबा 01.10.00 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि के आस–पास स्थित सडकों के निर्धारण हेतु मुख्य सडक को सम्मिलित करते हुए रोड नेटवर्क प्लान बनाये जाने हेतु आयोजना शाखा को निर्देशित किया गया है। उक्त के कम में कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध कमिटमेंट एवम् गुगल प्लान अनुसार उक्त क्षेत्र का सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान तैयार किया गया है। उक्त क्षेत्र जोधपुर–नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग–62 के पूर्व दिशा में स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भू–उपयोग मास्टर प्लान अनुसार औद्योगिक है। उक्त क्षेत्र के दक्षिण दिशा में सुरपुरा बांध है तथा पूर्व दिशा में सुरपुरा बांध को जोडती हुई नहर अवस्थित है। प्रस्तावित सेक्टर प्लान की सीमाएँ निम्नानुसार है।

- पूर्व – 132 के.वी. एच.टी. लाईन
- पश्चिम – राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62
- उत्तर – राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 व सुरपुरा बांध को जाडने वाला जंक्शन
- दक्षिण – सुरपुरा बाईपास 60 मीटर चौडा

इस सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान में 18 मीटर व 24 मीटर की सडके प्रस्तावित की गयी है।

उक्त प्रकरण को दिनांक 16.06.2022 को आयोजित प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक मे निर्णयार्थ रखा गया। जिसके अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या 19 में उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रकरण कार्यकारी–समिति की अभिशंषा के साथ आगामी प्राधिकरण बैठक में प्रारूप रोड नेटवर्क प्लान पर प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन होने के उपरान्त आमजन से 30 दिवस की अवधि में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करते हुए रखे जाने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16.06.2022 को एजेण्डा संख्या 19 पर उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत/अनुमोदन करने की अभिशंषा के साथ आगामी प्राधिकरण की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बैठक के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 3 :: वित्तीय वर्ष 2022–23 मे पुनर्विनियोजन को प्राधिकरण बैठक दिनांक 16.08.2022 मे अनुमोदन बाबत्।**

| क्रं सं. | प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है। | वित्तीय वर्ष 2022–23 मे पुनर्विनियोजन की प्राधिकरण बैठक में अनुमोदन की अनुशंषा की जाती है। |

वित्तीय वर्ष 2022–23 मे पुनर्विनियोजन को प्राधिकरण बैठक मे अनुमोदन बाबत्– जिन कार्यो हेतु बजट पुनर्विनियोजन करवाया गया है, उनका विवरण निम्नानुसार हैः–

| क्रं. सं. | कार्य का नाम | राशि पुनर्विनियोजन की गई राशि (लाखो में) |
|---|---|---|
| 1. | जोन मुख्यालय में सडक निर्माण – शहरी क्षेत्र में विकास कार्य | 500.00 |

उक्त कार्य हेतु बजट अनुमान 2022–23 मे पुनर्विनियोजन के प्रस्तावों को प्राधिकरण मे अनुमोदन प्रस्ताव निम्नानुसार हैः–

(राशि लाखों में)

| क्रसं | राशि जहां से ली जानी | | | | क्रसं | राशि जहां को जानी हैं। | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | बजट शीर्षक | उपलब्ध प्रावधान | पुनर्विनियोजन की जाने वाली राशि घटाई गई | शेष प्रावधान | | बजट शीर्षक | उपलब्ध प्रावधान | पुनर्विनियोजन किये जाने से प्राप्त राशि जोडी गई | योग | स्वीकृत दिनांक | बजट शीर्षक |
| 1 | 5005–06–000 (12) (मुख्यालय) | 600.00 | 500.00 | 100.00 | 1 | 5005–06–000 (01) ( मुख्यालय) | 100.00 | 500.00 | 600.00 | 20/7/22 | जोन मुख्यालय में शहरी क्षेत्र में सडक निर्माण |

उपरोक्तानुसार पुनर्विनियोजन प्राधिकरण में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: **ग्राम सालावास के खसरा संख्या 95 व 96 में प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ उद्योग विहार योजना की शर्तो के निर्धारण एवं अनुमोदन तथा योजना लांच करने की अनुमति के संबंध में।**

| क.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/ टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है। | ग्राम सालावास के खसरा संख्या 95 व 96 में प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ उद्योग विहार योजना की शर्तो के निर्धारण एवं अनुमोदन तथा योजना लांच करने की अनुमति की अभिशंषा की गई है। |

राजस्व ग्राम सालावास तहसील लूणी के खसरा संख्या 95 रकबा 11.9329 हैक्टेयर किस्म बारानी—तृतीय व खसरा संख्या 96 रकबा 19.0283 हैक्टेयर किस्म बारानी—तृतीय के आस पास औद्योगिक इकाईया स्थापित है। उक्त भूमि प्राधिकरण की बेशकीमती जमीन होने के कारण अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था। जिसके कारण प्राधिकरण द्वारा आस—पास के औद्योगिक क्षेत्र को देखते हुये तथा मास्टर प्लान में उक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित होने से प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक योजना (उद्योग विहार) विकसित की जानी प्रस्तावित की गई।

The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban land Rules) 1974 के नियम 15 के अनुसार व्यावसायिक प्रकृति की भूमि का निस्तारण सार्वजनिक नीलामी द्वारा किये जाने का प्रावधान है परन्तु माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के दिनांक 24 व 25 जुलाई 2021 को जोधपुर प्रवास के दौरान आयोजित समीक्षा बैठक में भी योजना के भूखण्डों का आवंटन लॉटरी पद्वति से किये जाने के निर्देश प्रदत्त किये गये। जिसके क्रम में प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1071 दिनांक 01.12.2021 के द्वारा उक्त योजना में भूखण्डों का आवंटन लॉटरी पद्वति से किये जाने की स्वीकृति हेतु पत्र राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक प.1(67)नविवि/जोधपुर/2021 दिनांक 13 दिसम्बर 2021 के द्वारा उद्योग विहार योजना के समस्त भूखण्डों का आवंटन सार्वजनिक निलामी के स्थान पर निर्धारित आवंटन दर पर लॉटरी के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्तर पर सुनिश्चित किये जाने की शर्त पर एतद्द्वारा प्रदान की गई जिसका अनुमोदन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 2021 में किया गया। प्राधिकरण की ले—आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 02.07.2021 के एजेण्डा संख्या 45 के तहत उक्त भूमि खसरा सख्या 95 व 96 कुल रकबा लगभग 30 हैक्टेयर में से 285072.21 वर्गमीटर क्षेत्रफल भूमि में औद्योगिक योजना (उद्योग विहार) विकसित किये जाने हेतु ले—आउट प्लान अनुमोदित किया गया। प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15.12.2021 में पारित प्रस्ताव सख्या 24 के अनुसार उक्त योजना की आरक्षित दर 10,000/— रूपये प्रतिवर्गमीटर तय की गई है। योजना का रैरा रजिस्ट्रेशन नम्बर RAJ/P/2021/1772 है। इसी क्रम में उद्योग विहार योजना हेतु नवीन

निर्देशों के अनुरूप आवेदन पुस्तिका जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के समस्त निदेशकों से परीक्षण पश्चात तैयार की जाकर प्राधिकरण की कार्यकारी समिति एवं प्राधिकरण बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में प्राधिकरण स्तर पर सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर उक्त आवेदन पुस्तिका का विमोचन दिनांक 28.06.2022 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जोधपुर प्रवास के दौरान किया गया।

प्राधिकरण के निदेशक विधि द्वारा प्रदत्त विधिक राय अनुसार The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban land Rules) 1974 के नियमों में औद्योगिक प्रयोजनार्थ योजना के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण योजना की शर्तो इत्यादि को जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की आगामी प्राधिकरण बैठक में अनुमोदन हेतु रखा जाकर राज्य सरकार से अनुमोदन/ अनुमति प्राप्त कर नियमों के अंगीकरण का कार्य किया जाना है तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर अधिनियम 2009 की धारा 40 के तहत उक्त योजना के अधिसूचित किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाना है। इसके अतिरिक्त आवेदन पुस्तिका में योजना के प्रथम चरण में सामान्य औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किये जाने व योजना के आवासीय, व्यावसायिक भूखण्डो का आवंटन आगामी चरण में किये जाने तथा योजना में सम्मिलित समस्त प्रकार के कॉर्नर के भूखण्डो का आवंटन नीलामी पद्वति से किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुमोदन कार्यकारी समिति द्वारा किया जाना है।

इसी क्रम में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04.08.2022 के प्रस्ताव संख्या 15 के अनुसार उक्त योजना का अनुमोदन करते हुए प्रकरण में अब तक की गयी कार्यवाही का अनुमोदन किया गया। अधिसूचना के लिये धारा 40 के अंतर्गत प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने, भूखण्डों का आवंटन जरिये लॉटरी करने तथा कॉर्नर भूखण्डों को आवंटन निलामी पद्धति से करने, पूर्व निर्धारित तिथि अनुसार आवेदन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही करने, प्रकरण राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित करने एवं प्रकरण कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ आगामी प्राधिकरण बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। अतः उपरोक्त वर्णित अनुसार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04.08.2022 के प्रस्ताव संख्या 15 में लिये गये निर्णयानुसार उक्त प्रकरण प्राधिकरण बैठक के समक्ष अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ एवं उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में नगरीय विकास विभाग, राजस्थान के पत्र कमांक प.1 (67) नविवि/ जोधपुर /2021 दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 को दृष्टिगत रखते हुए बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रकरण के संबंध में निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिये गयेः—

1— योजना के कॉर्नर भूखण्डों का निष्पादन नीलामी के माध्यम से किया जावे तथा शेष समस्त भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जावे,

2— योजना के औद्योगिक भूखण्डों के निष्पादन, विकास एवं रखरखाव के नियम एवं शर्ते राज्य सरकार के पत्र कमांक प.1 (67) नविवि/ जोधपुर /2021 दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 एवं कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 04.08.2022 में लिए गए निर्णय के अध्यधीन रहते हुए शेष शर्ते "रीको डिस्पोजल ऑफ लैण्ड रूल्स, 1979" के अनुसार होगी,

3— धारा 40 (2) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की जावे,

4— प्रकरण में अब तक की गयी कार्यवाही का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया, तथा

5— प्रकरण में अब तक की गयी कार्यवाही की सूचना राज्य सरकार को प्रेषित की जावे

**प्रस्ताव संख्या 5 :: शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र, गौशाला मैदान परिसर में वॉक पथ एवं परिसर के जीर्णोद्धार के संबंध मे निर्णय बाबत्।**

| क्र.म | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संमंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है। | शाला क्रीडा संगम केन्द्र, गौशाला मैदान परिसर में वॉक पथ एवं परिसर के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में जिला कलक्टर कार्यालय से उपरोक्त सन्दर्भित पत्र क्रमांक एडीएम/पीए/2022/235 दिनांक 29.07.2022 को प्राप्त हुआ है। गौशाला मैदान परिसर में विभिन्न कार्यो हेतु निर्देशानुसार कुल रूपये 1388 लाख के प्रस्ताव तैयार किये गये है तथा डीपीआर संलग्न है। सन्दर्भित पत्र अनुसार इस राशि मे से 50 प्रतिशत राशि का वहन जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा तथा शेष राशि वहन करने हेतु नगरीय विकास विभाग, जयपुर के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा।<br>उपरोक्तानुसार रूपये 1388 लाख का 50 प्रतिशत राशि अर्थात् रूपये 694 लाख रूपये जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तथा 50 प्रतिशत राशि अर्थात 694 लाख रूपये नगरीय विकास विभाग, जयपुर द्वारा वहन किये जाने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किये जाने बाबत् सहमति हेतु प्रकरण में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है। |

**कार्य का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–**

1. **वॉक पथ–वे :–**

- वॉक पथ–वे की लम्बाई 1.3 किलोमीटर है, जिसमें बाऊन्ड्री वॉल रिपेयर, गार्ड रूम रिपेयर, फेन्सींग, शेड, इलेक्ट्रीक कार्य, कम्पाउण्ड वॉल, वेलनेस ट्रेक का कार्य सम्मिलित है।
- वर्तमान में ट्रेक पर प्रशिक्षण लेने वालो की संख्याः–वर्तमान में 400 प्रशिक्षणार्थी वाकिंग ट्रेक का उपयोग कर रहे है।
- अनुमानित लागतः–439.00 लाख

2. **वालीबॉल :–**

- वर्तमान में खेल का प्रशिक्षण लेने वालो की संख्याः–20 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। इस परिसर से राज्य एंव राष्ट्रीय स्तर पर छात्र चयनित हुए है।
- शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र में खेल स्थापित 2007 से प्रारम्भ हुआ।
- अनुमानित लागतः– 22.00 लाख

3. **क्रिकेट :–**

- वर्तमान में खेल का प्रशिक्षण लेने वालो की संख्याः– 80 छात्र नियमित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है जिसमें राजकीय विद्यालय के छात्र निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। इस परिसर से राज्य एंव राष्ट्रीय स्तर पर छात्र चयनित हुए है।

- शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र में खेल स्थापित हुआ है:– 2016–2017 से प्रारम्भ हुआ।
- अनुमानित लागत :– 186.00 लाख

4. **क्रिकेट :–**

- वर्तमान में खेल का प्रशिक्षण लेने वालो की संख्या:– 80 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है जिसमें राजकीय एंव मान्यता प्राप्त विद्यालय के छात्र है।इस परिसर से राज्य एंव राष्ट्रीय स्तर पर छात्र चयनित हुए है।
- शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र में खेल स्थापित हुआ है:– 2016–2017 से प्रारम्भ हुआ।
- अनुमानित लागत:–17.00 लाख (कुल लागत)

5. **जुडो :–**

- वर्तमान में खेल का प्रशिक्षण लेने वालो की संख्या:– 18 छात्र/छात्राऐं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है जिसमें राजकीय विद्यालय के छात्रो को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है।इस परिसर से राज्य एंव राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी तैयार हो चुके है।
- शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र में खेल स्थापित हुआ है:– 2008 से प्रारम्भ हुआ।
- अनुमानित लागत:–14.00 लाख

6. **स्केटिंग :–**

- वर्तमान में खेल का प्रशिक्षण लेने वालो की संख्या:–वर्तमान में 153 छात्र/छात्राऐं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है जिसमें राजकीय विद्यालय के छात्र/छात्राओ को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है।इस परिसर से राज्य एंव राष्ट्रीय स्तर पर छात्र चयनित हुए है।
- शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र में खेल स्थापित हुआ है:–2013 से प्रारम्भ हुआ।
- अनुमानित लागत:–31.00 लाख

7. **स्वीमिंग :–**

- वर्तमान में खेल का प्रशिक्षण लेने वालो की संख्या:–वर्तमान में 350 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।राजकीय विद्यालय मे अध्ययनरत छात्र/छात्राओ को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है।इस परिसर से राज्य एंव राष्ट्रीय स्तर पर छात्र चयनित हुए है।
- शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र में खेल स्थापित हुआ है:–2007 से प्रारम्भ हुआ।
- अनुमानित लागत:– 20.00 लाख

8. <u>सोन्दर्यकरण</u> :–शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र परिसर दक्षिण दिशा के द्वार पुनरोद्धार करवाकर नया रूप देने का कार्य करना।

- शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र में दक्षिण दिशा गेट स्थापित हुआ है:– 2007
- अनुमानित लागत:– 24.00 लाख

9. **कार्य का नाम :– फाउंटेन निर्माण कार्य**

- सोन्दर्यकरण :–शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र परिसर सोन्दर्यकरण हेतु पूर्वी द्वार एवं दक्षिणी द्वार के निकट फाउन्टेन का निर्माण करवाकर नया रूप देने का कार्य करना है।
- अनुमानित लागतः–14.00 लाख

10. **कार्य का नाम :–प्लेयिंग इक्युपमेंट**

- अनुमानित लागत :– 3.00 लाख

11. **खेल का नाम :–बैडमिन्टन**

- वर्तमान में खेल का प्रशिक्षण लेने वालो की संख्याः–वर्तमान में 70 प्रशिक्षणार्थी खेल रहे है।
- शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र में खेल स्थापित हुआ हैः–2010 से प्रारम्भ हुआ।
- अनुमानित लागतः– 36.00 लाख

12. **खेल का नाम :–जिम**

- वर्तमान में खेल का प्रशिक्षण लेने वालो की संख्याः–वर्तमान में 35 प्रशिक्षणार्थी व्यायाम कर रहे है।
- शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र में खेल स्थापित हुआ हैः–2007 से प्रारम्भ हुआ।
- अनुमानित लागतः– 8.00 लाख

13. **कार्य का नाम :– सोलर प्लान्ट लगाने का कार्य।**

- अनुमानित लागतः– 20.00 लाख

14. **कार्य का नाम :– शाला क्रीडा संगम केन्द्र परिसर गौशाला मैदान में सी.सी.टी.वी कैमरों को शिफ्ट करने व नए सी.सी.टी.वी कैमरे लगाने का कार्य।**

- अनुमानित लागतः– 6.00 लाख

15. **कार्य का नाम :– वैलनेस ट्रेक के निकट ओपन जिम का कार्य।**

- वर्तमान में गौशाला परिसर में प्रतिदिन आने वाले आगनतुकों द्वारा एवं बच्चों द्वारा जिम उपकरण स्थापित करने की मांग को देखते हुये जिम उपकरणों की संख्या बढाई जानी आवश्यक है। जिस हेतु नवीन वेलनेस ट्रेक के समीप स्थिति उद्यानों में नवीन जिम उपकरण लगाये जाने प्रस्तावित है।
- अनुमानित लागतः– 10.00 लाख

16. कार्य का नाम :– जर्जर एवं क्षतिग्रस्त पैवेलियन को तोड कर पुनः नवीन निर्माण कार्य।

- वर्तमान में गौशाला परिसर में निर्मित पैवेलियन जर्जर अवस्था में है जिसको तोड कर नवीन पैवेलियन का निर्माण किया जायेगा। जिससे की गौशाला परिसर मैदान में आयोजित होने वाली खेलकूद प्रतियोगिताओं में खिलाडियों के प्रोतसाहन हेतु शहर की जनता एवं दर्शकों को व्यवस्थित बैठने की सुविधा उपलब्ध हो सके।
- अनुमानित लागतः– 50.00 लाख

17. कार्य का नाम :– योगशाला का नवीनीकरण कार्य।

- वर्तमान में खेल का प्रशिक्षण लेने वालो की संख्याः–वर्तमान में 50 प्रशिक्षणार्थी योग कर रहे है।
- शाला क्रीड़ा संगम केन्द्र में खेल स्थापित हुआ हैः–2020 से प्रारम्भ हुआ।
- अनुमानित लागतः– 30.00 लाख

18. कार्य का नाम :– परिसर में मल्टी पर्पज हॉल निर्माण कार्य।

- गौशाला मैदान में विभिन्न इनडोर खेल की सुविधा हेतु एक ही स्थान पर बैडमिंटन, टी.टी एवं अन्य इनडोर खेल हेतु नवीन मल्टी पर्पज हॉल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। मल्टी पर्पज हॉल हेतु शाला कीडा संगम गौशाला की और से 87.50 लाख रूपये पूर्व मे जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जा चुके है। कुल लागत रूपये 350.00लाख मे रूपये 175.00 लाख जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा व्यय किये जाने है। शेष रूपये 88.00 लाख बजट राशि मे से जारी किये जाने है।
- अनुमानित लागतः– 88.00 लाख

19. कार्य का नाम :– खिलाडियों हेतु हॉस्टल निर्माण कार्य।

- गौशाला मैदान खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु गौशाला मैदान में प्रतियोगी आते है उनकी सुविधा के लिये हॉस्टल की व्यवस्था हेतु खिलाडियों के ठहरने के लिये हॉस्टल का निर्माण किया जायेगा।
- अनुमानित लागतः– 254.00 लाख

20. कार्य का नाम :– खिलाडियों हेतु केन्टिन व डायनिंग हॉल निर्माण कार्य।

- गौशाला मैदान परिसर मे खेलकूद प्रतियोगिताओं हेतु प्रतियोगी आते है उनकी भोजन व्यवस्था के लिये कैन्टिन व डायनिंग हॉल निर्माण किया जायेगा।
- अनुमानित लागतः– 64.00 लाख

21. अन्य विकास कार्य।

- अनुमानित लागतः– 52.00 लाख

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार रूपये 1388 लाख का 50 प्रतिशत राशि अर्थात् रूपये 694 लाख रूपये जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तथा 50 प्रतिशत राशि अर्थात 694 लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा नगरीय विकास विभाग, जयपुर के माध्यम से वहन किये जाने के लिए प्रस्ताव प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

**प्रस्ताव संख्या 6 :: सूरसागर थाना से रामद्वारा तक घाटी कटिंग करते हुए सड़क चौडाईकरण कार्य में आने वाले समस्त मकान/स्ट्रक्चर/निर्माण कार्य, भूमि, भवन का मुआवजा राशि प्राधिकरण के द्वारा व्यय कर नगर निगम (उत्तर) को भूमि विक्रय की 15 प्रतिशत हिस्सा राशि में समायोजित की स्वीकृति बाबत:-**

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सूरसागर थाने के पास बने रहे बोटल नेक एवं रिज (Ridge) के कारण बने Black Spot को खत्म करने के लिए सूरसागर थाना से रामद्वारा तक घाटी कटिंग करते हुए सड़क चौडाईकरण कार्य की रू 85.65 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति पत्रांक 450 दिनांक 29.06.2022 को प्रदान की गई। परन्तु उक्त प्रदत स्वीकृति में कार्य की निविदा जारी करने से पूर्व नगर निगम (उत्तर) जोधपुर द्वारा सड़क निर्माण में आने वाले विभिन्न मकान/स्ट्रक्चर/निर्माण इत्यादि को हटा कर बाधा रहित सड़क मार्ग उपलब्ध कराने के साथ सड़क मार्गाधिकार में आने वाली भूमि/मकान/स्ट्रक्चर/निर्माण आदि का मुआवजा नगर निगम (उत्तर) जोधपुर को वहन करने एवं सडक निर्माण कार्य की NOC नगर निगम (उत्तर) जोधपुर ली जावें। जिसके क्रम में श्रीमान आयुक्त नगर निगम (उत्तर) को पत्रांक जोविप्रा/अ.अ/उत्तर-सी /2022-23/25 दिनांक 04.07.2022 के द्वारा उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु भिजवाया गया। जिसके प्रत्युतर में आयुक्त नगर निगम जोधपुर (उत्तर) का पत्र क्रमांक 2467 दिनांक 14.08.2022 प्राप्त हुआ जिसमें सड़क निर्माण में आने वाले समस्त मकान/भूमि का मुआवजा जोधपुर विकास प्राधिकरण स्तर पर वहन करने व माननीय न्यायालय वाद का निस्तारण जो.वि.प्रा के स्तर पर किए जाने की शर्त पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया।

इसी सन्दर्भ में दिनांक 18.07.2022 को जिला कलक्टर महोदय द्वारा कार्य के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक एडीएम II/पीए/2022/212 दिनांक 22.07.2022 के अनुसार उपरोक्त कार्य हेतु आवश्यक अधिग्रहण के संबंध में नगर निगम (उत्तर) को कार्यवाही हेतु कहा गया था परन्तु नगर निगम उत्तर की आर्थिक स्थिति अनुकूल नही होने से नगर निगम उत्तर द्वारा कार्य किया जाना संभव नही है। अतः जनहित को देखते हूए उक्त अधिग्रहण एवं मुआवजा देने का कार्य जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ही करवाया
की जाना उचित होगा। तथा उक्त कार्य की निविदा जो.वि.प्रा अविलम्ब जारी करेगा।

उक्त निर्णय अनुपालना में कार्य की निविदा संख्या 02/22-23 दिनांक 25.07.2022 को जारी की गई। उक्त निविदा की दर स्वीकृति हो चुकी है परन्तु कार्यादेश दिया जाना शेष है

माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 227 दिनांक 29.07.2022 से सड़क निर्माण में आ रहे मकान/भूमि आदि के मूल्यांकन हेतु उपखण्ड अधिकारी जोधपुर, उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा, अधिशाषी अभियंता जोन उतर-सी जो.वि.प्रा, की संयुक्त कमेटी का गठन किया गया। उक्त कमेटी 70फीट से 60 फीट चौड़ाई में आ रहे मकान/भूमि की द्वारा मूल्याकंन रिपोर्ट जिला कलक्टर महोदय को प्रेषित की जा चुकी है।

अतः उपरोक्त कार्य के निर्माण पर होने वाली प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय राशि 85.65 लाख का व्यय, सड़क निर्माण में आने वाले निवासियों के मकान/भूमि के मुआवजे पर होने वाले व्यय तथा Utiility Shitting (पानी, बिजली) पर होने वाले व्यय जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर वहन करने की स्वीकृति तथा उक्तानुसार होने वाली सकल व्यय राशि नगर निगम उतर को भूमि विकय का 15 प्रतिशत हिस्सा राशि के विरूद भिजवाई जाने वाली राशि में से समायोजित करने की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्राधिकरण बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

## निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने तथा व्यय होने वाली सकल व्यय राशि नगर निगम उतर को भूमि विकय का 15 प्रतिशत हिस्सा राशि के विरूद भिजवाई जाने वाली राशि में से समायोजित करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह बैठक कार्यवाही विवरण पत्रावली (बैठक शाखा/2022/भाग–10 प्राधिकरण की बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या50......./एन. में अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित है)

(उल्लेखनीय है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 2014 के नियम 12 (2) में प्रावधान है कि यदि बैठक में उपस्थित पचास प्रतिशत या इससे अधिक सदस्य कार्यवृत्त प्राप्ति के सात दिवस के भीतर किसी विशिष्ट विनिश्चय या विनिश्चयों का कार्यवृत या उसके किसी भाग के गलत तथा/या त्रुटिपूर्ण अभिलेखन के आधार पर आपत्ति करें और निवेदन करे कि उक्त विनिश्चय या विनिश्चयों का कियान्वयन रोक दिया जावेगा और अगली बैठक में ऐसे विनिश्चय लिये जाने तक कियान्वित नहीं किया जावेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के पच्चीस प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु पचास प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें और उसके या उनके प्रवर्तन को रोकने के लिए निवेदन करें तो अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, अगली बैठक तक, जब प्रश्न विनिश्चय के लिए रखा जायेगा, कियान्वयन रोक सकेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के बीस प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें तो उनकी आपत्ति या आपत्तियां विनिश्चय के लिए अगली बैठक में रखी जावेगी। कार्यवृत्त जब तक कि रोक या उलट न दिया गया हो, संशोधन या उपान्तरित न कर दिया गया हो, पीठासीन सदस्य तथा सचिव के हस्ताक्षरों के पश्चात् पुष्ट किया हुआ समझा जायेगा। परन्तु विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण, संशोधन या उनके उलटे जाने से विनिश्चय या विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण/संशोधन या उनके उलटे जाने से पूर्व की गई किसी बात या कार्यवाही पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पडेगा)

(जय नारायण मीणा) 27/8/22
सचिव

कमांक/बैठक/2022/भाग(10)/1663-81 दिनांक :: 27 अगस्त, 2022

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
2– महापौर (उत्तर/दक्षिण) महोदया, नगर निगम, जोधपुर
3– जिला प्रमुख महोदया, जिला परिषद, जोधपुर

4– जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
5– उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेन्ट काउंसिल (आरएजेआरईडीसीको), 307, पिंक टॉवर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
6– संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
7– आयुक्त, नगर निगम–उत्तर/दक्षिण, जोधपुर
8– अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
9– मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
10– प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
11– उप आवासन आयुक्त–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
12– वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
13– निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14– निदेशक– अभियांत्रिकी/ आयोजना/ वित्त/ विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15– उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/मुख्यालय, उप सचिव, भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16– अधीक्षण अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17– एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
18– सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19– ..............................................................................................

27/8/22
(जय नारायण मीणा)
सचिव

**परिशिष्ट–1**

श्री कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर की अध्यक्षता में प्राधिकरण कार्यालय स्थित उनके कक्ष में दिनांक 17 अगस्त, 2022 को मध्यान्ह पश्चात् 5.00 बजे आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण

1. श्री अवधेश मीणा, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2. श्री एम.एस. चारण, जोनल चीफ इंजिनियर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
3. श्री डी.एस. चौहान, अधीक्षण अभियन्ता, शहर वृत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
4. श्री राहुल गुप्ता, वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर निगम, जोधपुर–उत्तर
5. श्री राजेश माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
6. श्री योगेश कुमार, उप नगर नियोजक, कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
7. श्री जितेन्द्र सिंह मेहता, (अधिशाषी अभियन्ता) तकनीकी सहायक, अधीक्षण अभियन्ता, नगर वृत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
8. श्रीमती राज्यश्री कच्छवाह, तकनीकी सहायक, उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
9. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री अरविन्द पारीक, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री अनिल कुमार पूनिया, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री रवीन्द्र कुमार, उपायुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्रीमती मृदुला शेखावत, उपायुक्त–मुख्यालय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्री जय नारायण, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर